



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30032022-234672
CG-DL-E-30032022-234672

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1425]
No. 1425]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 30, 2022/चैत्र 9, 1944
NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 30, 2022/CHAITRA 9, 1944

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 30 मार्च, 2022

का.आ. 1468(अ).—केंद्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 142ख की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात्:--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम पहचानविहीन जांच या मूल्यांकन स्कीम, 2022 है।

(2) यह राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएं—(1) इस स्कीम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “अधिनियम” से आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) अभिप्रेत है;

(ख) “स्वचालित आबंटन” से उपयुक्त प्रौद्योगिक औजार का प्रयोग करके मामलों के यादृच्छिकीकृत आबंटन के लिए कोई एल्गोरिथ्म अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत संसाधनों का ईष्टतम प्रयोग करने की दृष्टि से कृत्रिम आसूचना और यंत्र विद्या सम्मिलित है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में हैं।

3. स्कीम का क्षेत्र— इस स्कीम के प्रयोजन के लिए,—

- (क) अधिनियम की धारा 142 की उपधारा (1) के अधीन सूचना जारी करने के लिए ;
- (ख) अधिनियम की धारा 142 की उपधारा (2) के अधीन निर्धारण से पूर्व जांच करने के लिए ;
- (ग) अधिनियम की धारा 142 की उपधारा (2क) के अधीन उसके संपरीक्षित लेखाओं को प्राप्त करने के लिए निर्धारिती को निदेश देने के लिए ;
- (घ) अधिनियम की धारा 142क के अधीन किसी मूल्यांकन अधिकारी द्वारा किसी आस्ति, संपत्ति या विनिधान के मूल्य का प्राक्कलन करने के लिए,

निर्धारिती की कुल आय या हानि के पहचानविहीन निर्धारण के लिए निर्देश के साथ अधिनियम की धारा 144ख के अनुसार और उसमें उपबंधित विस्तार तक स्वचालित आबंटन के माध्यम से पहचानविहीन रीति से किया जाएगा।

[अधिसूचना सं. 19/2022/फा. सं. 370142/15/2022-टीपीएल]

शेफाली सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th March, 2022

S.O. 1468(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 142B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby makes the following Scheme, namely:-

1. Short title and commencement.—(1) This Scheme may be called the Faceless Inquiry or Valuation Scheme, 2022.

(2) It shall come into force with effect from the date of its publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—(1) In this Scheme, unless the context otherwise requires, —

- (a) “Act” means the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961);
- (b) “automated allocation” means an algorithm for randomised allocation of cases, by using suitable technological tools, including artificial intelligence and machine learning, with a view to optimise the use of resources.

(2) Words and expressions used herein and not defined, but defined in the Act, shall have the meaning respectively assigned to them in the Act.

3. Scope of the Scheme.—For the purpose of this Scheme, —

- (a) issuing notice under sub-section (1) of section 142 of the Act,
- (b) making inquiry before assessment under sub-section (2) of section 142 of the Act,
- (c) directing the assessee to get his accounts audited under sub-section (2A) of section 142 of the Act,

- (d) estimating the value of any asset, property or investment by a Valuation Officer under section 142A of the Act,

shall be in a faceless manner, through automated allocation, in accordance with and to the extent provided in section 144B of the Act with reference to making faceless assessment of total income or loss of assessee.

[Notification No. 19/2022/F. No. 370142/15/2022-TPL]

SHEFALI SINGH, Under Secy.